

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या- 28874/दो-380(57) ए/खण्ड-5/लाइसेंस/थो0भा0आ0दर/ई-टेंडर/2020-21/दिनांक फरवरी 08/2020

ई-टेंडर नोटिस

(वर्ष 2020-21 में भांग की थोक आपूर्ति हेतु ई-टेंडर)

वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश के विभिन्न प्रभागों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों में भांग की थोक आपूर्ति हेतु टू बिड सिस्टम पर NIC के वेब पोर्टल [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) के माध्यम से ई निविदा आमंत्रित की जाती है। लखनऊ प्रभाग को तीन हिस्सों 1-लखनऊ प्रभाग-क (मात्र जनपद रायबरेली) 2-लखनऊ प्रभाग-ख (मात्र जनपद लखनऊ) 3-लखनऊ प्रभाग-ग (जनपद उन्नाव, हरदोई, सीतापुर व खीरी) के रूप में विभाजित किया गया है, अतः इन तीनों हिस्सों को अलग-अलग प्रभाग मानते हुये इन पर पृथक-पृथक निविदा आमंत्रित की जाती है। एक टेंडर फार्म पर अधिकतम दो प्रभागों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों के लिए भांग की थोक आपूर्ति हेतु टेंडर दिया जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा मात्र एक टेंडर प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक ई-टेंडर के साथ रूपया 10,000/- (दस हजार) की धरोहर धनराशि का शिड्यूल बैंक के ड्राफ्ट/फिक्सड डिपोजिट रसीद/डाकखाने के नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट/पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एकाउन्ट, जो आबकारी आयुक्त, उ० प्र० के पदनाम से प्लेज्ड (प्रतिश्रुत) हो, के रूप में इसकी पीडीएफ स्कैनड फाइल अपलोड की जायेगी तथा उसकी मूलप्रति कैम्प कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ० प्र०, प्रथम तल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में तकनीकी बिड टेंडर खुलने से पूर्व जमा करनी होगी। ई-टेंडर में प्रतिभाग करने के लिये आवेदक के पास डिजिटल हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

ई-टेंडर स्वीकृति की सूचना मिलने पर ई-टेंडरदाता को एक सप्ताह के अन्दर नियमों/शर्तों के यथोचित पालन के लिए जमानत के तौर पर रूपया 25,000/- (पच्चीस हजार) धनराशि की किसी शिड्यूल बैंक से निर्गत सावधि जमा रसीद जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पद नाम से प्लेज्ड (प्रतिश्रुत) हो, प्रतिभूति के रूप में जमा कर प्रपत्र आई०डी०-3 में अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी। निविदा के साथ निम्न अभिलेखीय प्रमाण भी अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

- 1- निविदादाता द्वारा आर्थिक स्थिति के प्रमाण के रूप में न्यूनतम रूपया 1,00,000/- (एक लाख) का बैलेंस प्रदर्शित करने वाली बैंक या डाकखाने की सेविंग एकाउन्ट के पास-बुक की छायाप्रति या सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत बैंक/डाकखाने के एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की प्रति को ई-टेंडर की वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर अपलोड करना होगा।
- 2- अपने निवास के जनपद के जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र व अदेयता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- 3- राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, नाम, पिता का नाम, पता तथा प्रमाणित हस्ताक्षर का विवरण अपलोड करना होगा।
- 4- रूपया 10/- के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र अपलोड करना होगा।
- 5- धरोहर धनराशि का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति आदि) अपलोड करना होगा।
- 6- पैन, वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न, आवेदक के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित अन्य सुसंगत अभिलेख अपलोड करना होगा।
- 7- वर्ष 2019-20 के जिन थोक भांग आपूर्तकों को अन्य जनपदों की अतिरिक्त आपूर्ति आवंटित की गयी है, उन्हें संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अपलोड करना होगा कि उनके द्वारा यथानिर्दिष्ट भांग की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति जनपद को कर दी गयी है, जो संतोषजनक है। अन्यथा की स्थिति में आपूर्तक इस आशय का एक शपथ-पत्र ई-टेंडर के साथ प्रस्तुत करेगा कि वह यथानिर्दिष्ट अतिरिक्त भांग की आपूर्ति संबंधित जनपद को 28.02.2020 तक कर देगा।
- 8- वर्ष 2020-21 के लिए चयनित आवेदक को आई०डी०-3 अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए गत वर्ष/वर्षों में जमा प्रतिभूति को अग्रणीत नहीं किया जायेगा, अपितु आवेदन पत्र के साथ नई प्रतिभूति धनराशि के रूप में किसी शिड्यूल बैंक से निर्गत रूपया 25,000/- (पच्चीस हजार) की सावधि जमा रसीद अपलोड करना होगा।

ई-टेंडर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत है:-

Tender Publish Date on Website <a href="http://www.etender.up.nic.in">www.etender.up.nic.in</a>	10.02.2020
Documents Download Start Date	10.02.2020 :: 10.00AM
Clarification Start Date	10.02.2020
Prebid Conference	20.02.2020 :: 11.00AM
Clarification End Date	20.02.2020
Documents Download and Submission End Date	20.02.2020 :: 12.00Noon
Technical Bid Opening Date	20.02.2020 :: 1.00PM
Financial Bid Opening Date	20.02.2020 :: 5.00PM

आई०डी०-2 प्रपत्र फाइनैशियल बिड के अन्तर्गत तथा अन्य समस्त अभिलेख (बिन्दु 1 से 7 के अनुसार) तकनीकी बिड के अन्तर्गत अपलोड किये जायेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे। आबकारी आयुक्त, उ० प्र० को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दे।

प्राप्त ई-टेंडर की टेक्निकल बिड दिनांक 20-02-2020 को ही अपरान्ह 01 बजे तक फाइनैशियल बिड अपरान्ह 05.00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों के समक्ष कैम्प कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ० प्र०, प्रथम तल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भवन, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में खोले जायेंगे एवं प्री-बिड कान्फेन्स भी इसी स्थान पर आयोजित होगी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए थोक भांग आपूर्ति हेतु प्रभारवार, अधिकतम दरें निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:-

प्रभार का नाम	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित अधिकतम थोक भांग आपूर्ति दर (प्रति किलोग्राम रूप० में)
1- आगरा, अलीगढ़ झांसी एव मिर्जापुर प्रभार के जनपदों के लिए	24/-
2- प्रयागराज एव चित्रकूटधाम प्रभार के जनपदों के लिए	20/-
3- प्रदेश के शेष प्रभागों के जनपदों के लिए	19/-

(पी० ग० पसाद)